दिनांक- 10.07.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना नकुड़ पुलिस,सर्विलांस /स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा किशोर की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद हुआ ।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2025 को वादिया श्रीमति कान्ता देवी पत्नि स्व0 काका निवासी ग्राम डाल्लेवाला उर्फ डाला माजरा थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र प्रिन्स की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर **मु0अ0स0 223/25 धारा 103 (1) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही से मृतक के मोबाईल के इंस्टा के माध्यम से एक ओडियो प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन से अभियुक्त **अक्षय उर्फ प्रदुमन उर्फ छोटू पुत्र अवतार उर्फ काला निवासी ग्राम डाल्लेवाला उर्फ डाला माजरा थाना नकुड जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश** में आया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर हत्या की घटना का सफल अनावरण व घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 **अभियुक्त अक्षय उर्फ प्रदुमन उर्फ छोटू पुत्र अवतार उर्फ काला निवासी ग्राम डाल्लेवाला उर्फ डाला माजरा थाना नकुड जिला सहारनपुर** को निर्माणाधीन हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद किया गया । **बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि** की गई ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और प्रिन्स एक ही गाँव के रहने वाले हैं तथा हम दोनो का घर भी पास-पास मे ही है। हम दोनो के परिवारों के आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं। जैसे ही मुझे पता चला की प्रिन्स ने हमारे परिवार की एक लड़की जो मेरी बहन लगती है उससे दोस्ती कर ली है और वो दोनो मोबाईल से भी एक दूसरे से बाते करते है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने प्रिन्स को अपनी बहन से भविष्य में मोबाईल से बातचीत करने व मेरे घर आने से मना कर दिया। लेकिन प्रिन्स ने मेरी बहन से बात करना बंद नही किया और लगातार इंस्ट्रागाम के माध्यम से बातचीत करता रहा।प्रिन्स ने गांव में कई लोगो को मेरी बहन से की गयी दोस्ती के बारे में बता दिया था जिस गांव में हमारे परिवार की बदनामी हो रही थी। इसी बात से क्रोधित होकर मैंने दिनांक 07.07.2025 को प्रिन्स की हत्या करने की योजना बनायी।इसी योजना के तहत मैंने दिनांक 07.07.2025 को प्रिन्स को किसी बहाने से गांव के बाहन खेतो में बुलाया । योजना के तहत मैं भी अपने घर से चाकू लेकर खेत में पहुँच गया जहाँ प्रिन्स मेरा इन्जार कर रहा था। मैंने प्रिन्स से दोबारा अपनी बहन से बातचीत करने के लिये मना किया तो प्रिन्स मुझसे झगड़ा करने लगा।तभी मैंने क्रोधित होकर अपने साथ लाये

चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मैंने जंगल के रास्ते निर्माणाधीन हाइवे के पास पहुँचा जहां एक टयूबेल भी है। इसी टयूबेल के सामने दीवार के पास चाकू को छिपा दिया ओर वहां से चला गया। आज जब मैं पुलिस से बचकर हरियाणा जाने की फिराक में था तो अचानक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मैंने पुलिस को हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद करा दिया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अक्षय उर्फ प्रदुमन उर्फ छोटू पुत्र अवतार उर्फ काला निवासी ग्राम डाल्लेवाला उर्फ डाला माजरा थाना नकुड जिला सहारनपुर

**बरामदगी -**

- 01 (चाकू घटना में प्रयुक्त)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
4. म0उ0नि0 सिमरन कमलेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 693 वीर प्रताप तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
8. हे0का0 सोनू सर्विलांस सेल जनपद सहारनपुर।
9. हे0का0 मनदीप स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।
10. हे0का0 वसीम स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।
11. का0 गौरव राठी स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।
12. का0 अमित कुमार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 10.07.2025

# <u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

## थाना कोतवाली देहात व सर्विलांस सैल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए ताला ठीक करने के नाम पर घरों से आभूषण व कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर पीली धातु के करीब 150 ग्राम व सफेद धातु के करीब 200 ग्राम आभूषण बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.07.2025 को वादी श्री राकेश कम्बोज पुत्र मेहर सिंह कम्बोज निवासी महाराजा गार्डन बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गण द्वारा वादी के घर मे अलमारी का ताला ठीक करने के नाम पर अलमारी का लॉकर खोलकर सोने व चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 264/2025 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया । उच्चाधिकारीगण के निर्देशों में चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु 02 टीमें गठित की गयी थी।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये थे**। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में हत्या/चोरी/लूट/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर-द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात व सर्विलांस सैल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए ताला ठीक करने के नाम पर आभूषण व कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर चोर/अभियुक्तगण **1. अजय सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी मोहल्ला वारिया छोटे गुरुद्वारा के पास कस्वा व थाना गन्दवानी जिला धार मध्य प्रदेश, 2. सरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र पुत्र राज सिंह निवासी मोहल्ला आकाश नगर निकट शेरपुर तालाव के पास थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर मध्य प्रदेश व 3. पारस कौर पत्नि राज सिंह निवासी मोहल्ला वारिया छोटे गुरुद्वारा के पास कस्वा व थाना गन्दवानी जिला धार मध्य प्रदेश** को महाराजा गार्डन कालोनी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया सामान **02 कंगन पीली धातू की, 02 अंगूठी पीली धातू की, 02 झूमकी कानों की पीली धातू की, 02 कानों के टोप्स पीली धातू की, 01 मंगल सूत्र पीली धातू काले मोती वाला, 01 कंठी सैट गले का व कानों के पीली धातू के, 01 चैन पीली धातू (मर्दाना), 06 कंठी कंडूली वच्चों की सफेद धातु की, 01 ब्रेसेलेट सफेद धातु की, 01 चैन पीली धातु की (जिसमें माता शेरा वाली का लोकेट लगा है), 01 लेडीज अंगूटी पीली धातु की, 01 गिन्नी पीली धातु, 01 जोडी कंडूली सफेद धातु की, 01 जोडी पायल सफेद धातु की, 03 जोडी विछुऐ सफेद धातु की, 01 टैंटू घूँघरु सफेद धातु की, 09 सफेद धातु के सिक्के, 02 सिक्के खजाना माता वैष्णों सफेद धातु की, 02 आधार कार्ड व 01 पहचान पत्र सिंचाई विभाग** आदि सामान बरामद। **गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि** की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी है, जो पहले घरो की रेकी करते थे, फिर किसी घर को चिन्हित करके उसमे से सोने/ चांदी के आभूषण व कीमती सामान चोरी कर लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है । गिरफ्तार

अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पुछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तथा जाति से सिकलीगर है। हम लोग अपने जिले से बाहर जाकर किसी दूसरे शहर मे ताला चाबी ठीक करने के बहाने से घरों की रैकी करते है तथा जिस घर में महिला होती हैं उस घर में ताला ठीक करने के बहाने से घुस जाते हैं तथा मौका देखकर घरों से सोने चाँदी के जेवरात चोरी कर लेते है। अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र उपरोक्त ने बताया की अपने बचाव के लिये मैं अपनी माँ पारस कौर को अपने साथ रखता हूँ, हम तीनों आपस में रिश्तेदार है तथा जिस भी शहर में घटनाए करते है उसी शहर के किसी होटल में किराये पर कमरा लेकर रहते हैं, अब से करीब चार दिन पहले मैने और मेरे साथी अजय सिंह ने बेहट रोड के एक मकान के अन्दर से अलमारी से चोरी किया था, उस मकान में मैं और अजय ताले में चाभी लगाने के लिये 2-3 दिन पहले भी गये थे, और फिर रैकी करके चोरी की घटना को अंजाम दे दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-**

1-अजय सिंह पुत्र मनजीत सिंह नि0 मो0 वारिया छोटे गुरुद्वारा के पास कस्वा व थाना गन्दवानी जिला धार (मध्य प्रदेश)

2-सरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र पुत्र राज सिंह नि0 मो0 आकाश नगर निकट शेरपुर तालाव के पास थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश)

3- पारस कौर पत्नि राज सिंह नि0 मो0 वारिया छोटे गुरुद्वारा के पास कस्वा व थाना गन्दवानी जिला धार (मध्य प्रदेश)

**बरामदगी का विवरण-**

- 02 कंगन पीली धातू की
- 02 अंगूठी पीली धातू की
- 02 झूमकी कानों की पीली धातू की
- 02 कानों के टोप्स पीली धातू की
- 01 मंगल सूत्र पीली धातू काले मोती वाला
- 01 कंठी सैट गले का व कानों के पीली धातू के
- 01 चैन पीली धातू (मर्दाना)
- 06 कंठी कंडूली वच्चों की सफेद धातु की
- 01 व्रेसेलेट सफेद धातु की
- 01 चैन पीली धातु की (जिसमें माता शेरा वाली का लोकेट लगा है)
- 01 लेडीज अंगूटी पीली धातु की,
- 01 गिन्नी पीली धातु में,
- 01 जोडी कंडूली सफेद धातु की,
- 01 जोडी पायल सफेद धातु की,
- 03 जोडी विछुऐ सफेद धातु की,
- 01 टैंटू घूँघरु सफेद धातु की

- 09 सफेद धातु के सिक्के,
- 02 सिक्के खजाना माता वैष्णों सफेद धातु की
- 02 आधार कार्ड
- 01 पहचान पत्र सिंचाई विभाग

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुदेशपाल थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. है0का0 सोनू कुमार मय सर्विलांस टीम जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 922 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
7. का0 1932 बिजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
8. म0का0 1040 शीतल थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 10.07.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध अस्लाह रखने वाले शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 10.07.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **तेलू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम हलवाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को कमेशपुर के बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **01 छुरी नाजायज बरामद** हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि पुलिस ने जो छुरी मुझसे बरामद की है उसे मैं रोब गालिब करने लिये अपने पास रखता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

तेलू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम हलवाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

**बरामदगी -**

- 01 छुरी नाजायज

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 37/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 353/21 धारा 380/511 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. हैड का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक- 10.07.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामंले में अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.07.2022 को वादी थाना प्रभारी श्री हरेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. ध्यान सिंह पुत्र जयराम निवासी कथना थाना एचैडा कम्बोह जिला सम्भल, 2.सुमित मलिक पुत्र जबर सिंह निवासी रेहटी जागीर थाना नूरपूर जिला बिजनौर, 3.अशोक पुत्र खेमसिंह निवासी कथना थाना एचैडा कम्बोह जिला सम्भल, 4. कपिल पुत्र अमरसिंह निवासी उपरोक्त, 5.विकास पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी उपरोक्त व 6.योगेन्द्र पुत्र विजय सिंह निवासी रामपुर हसनपुर जिला ज्योतिवाफुले नगर आदि द्वारा एक राय होकर आर्थिक लाभ हेतु जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0-387/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत कराया गया । जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-3026/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION मे चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 10.07.2025 को अभियुक्त ध्यान सिंह पुत्र जयराम निवासी कथना थाना एचैडा कम्बोह जिला सम्भल को मु0अ0स0-387/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 03 वर्ष का कठोर  कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोटः- अभियुक्तगणों 1.सुमित मलिक पुत्र जबर सिंह नि0 रेहटी जागीर थाना नूरपूर जिला बिजनौर 2.अशोक पुत्र खेमसिंह नि0 कथना थाना एचैडा कम्बोह जिला सम्भल 3.कपिल पुत्र अमरसिंह नि0 उपरोक्त 4.विकास पुत्र सुरेशचन्द्र नि0 उपरोक्त 5.योगेन्द्र पुत्र विजय सिंह नि0 रामपुर हसनपुर जिला ज्योतिवाफुले नगर सहारनपुर का वाद माननीय न्यायालय में प्रचलित है।

**शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज चौहान**
**विवेचक निरिक्षक श्री मनोज कुमार चाहल**
**पैरोकार का0-है0का0 929 अंकित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।**

-प्रेस नोट-

दिनांक 10.07.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 31.07.2023 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गुलशन पुत्र राजकुमार निवासी जाटव नगर अम्बेडकर चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की सूचना पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0-205/2023 धारा 376,506 भादवि व 5एल/6 पोक्सो के पंजीकृत कराया गया । जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-2256/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION मे चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 10.07.2025 को अभियुक्त गुलशन उपरोक्त को मु0अ0स0 205/2023 धारा 376/506 भादवि व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

**शासकीय- अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री संजय मलिक**
**विवेचक- उ0नि0 श्री बच्चन सिंह**
**पैरोकार- है0का0 650 लक्षेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से कुकर्म के मामलें में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –**

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.2023 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गुरमीत पुत्र जयप्रकाश निवासी बोहडपुर थाना नांगल जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ कुकर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0स0-286/2023 धारा 377 भादवि व 5एम/6 पोक्सो के पंजीकृत कराया गया । जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-202/2024 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 10.07.2025 को अभियुक्त गुरमीत उपरोक्त को मु0अ0स0-286/2023 धारा 377 भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

**शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री संजय मलिक**
**विवेचक- उ0नि0 श्री सतीश कुमार**
**पैरोकार-है0का0 1860 दुष्यन्त कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर।**